रजिस्टर्ड

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837,, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः– एफ4 (लिंक नं. 23328/अलेसे–ााा/389 दिनांकः–28-6-2023

श्री कोशल किशोर मीना,
कनिष्ठ लेखाकार,
कार्यालय कोषाधिकारी, बारां।
पिन–325205

विषयः कारण बताओं नोटिस

आपको विभागीय आदेश सं. 444/2019–20 दिनांक 18.07.2019 के द्वारा कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। जिसकी अनुपालना में आपने दिनांक 19.07.2019 को कार्यालय कोषाधिकारी, बांरा में कार्यग्रहण किया।

विभाग द्वारा नियुक्ति उपरान्त पुलिस सत्यापन कराये जाने पर आपके विरूद्ध पुलिस अधीक्षक, बांरा की रिपोर्ट सं. 2784 दिनांक 26.09.2021 के अनुसार पुलिस थाना, अनन्तपुरा जिला–कोटा में मु.स. 398/2018 धारा 147, 148, 149, 323, 327, 427 भा.द.स. एवं 4/25 आर्म्स एक्ट में दर्ज होना तथा चालान नं. 378 दिनांक 16.12.2019 पेश किया जाना बताया गया। आपके खिलाफ उक्त प्रकरण नियुक्ति से पूर्व दर्ज हैं और आपको इस विभाग द्वारा पुलिस चरित्र सत्यापन किये जाने से पूर्व ही कनि. लेखाकार के पद पर प्रोविजनल नियुक्ति दी गई थी।

आपके द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय अपने विरूद्ध कोई प्रकरण **(राजकीय सेवा के लिए अयोग्य मानने बाबत)** दर्ज नहीं होने बाबत **शपथ–पत्र** प्रस्तुत किया गया था।

नियुक्ति आदेश 444/2019–20 दिनांक 18.07.2019 के बिन्दु सं. 3 में यह उल्लेखित था कि–यह नियुक्ति चरित्र एवं आचरण ठीक प्रमाणित होने की शर्त पर की जा रही हैं। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं आचरण के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोष जनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के मार्गदर्शन बिन्दु सं. 1 (vi) के अनुसार भा.द.स. की धारा 147, 148 (बलवा करना) के अपराध में किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रकरण अन्वेक्षणाधीन/न्यायालय में विचाराधीन हैं अथवा दोषसिद्ध उपरान्त सजा हो चुकी है तो उसे राज्य के अधीन सेवाओं/पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं माना गया हैं।

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 34 (2) के अनुसार प्रोबेशनर का स्थायीकरण प्रोबेशन काल पूरा होने पर किया जा सकता हैं यदि उसकी सत्यनिष्ठता संदेह से परे एवं अन्य प्रकार से स्थायीकरण के लिए योग्य हो।

उपरोक्तानुसार नियुक्ति आदेश में अंकित बिन्दु सं. 3, आपके द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र में गलत तथ्य प्रस्तुत करने, न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने की बात छिपाने के कारण परिपत्र दिनांक 04.12.2019 के अन्तर्गत आप राजकीय पद/सेवा में रहने के लिए पात्र नहीं है।

अतः आपको नोटिस देकर अपेक्षा की जाती हैं कि आपके द्वारा गलत शपथ पत्र देने एवं आपके चरित्र सत्यापन में फौजदारी मुकदमा दर्ज होने के कारण क्यों न आपको राजकीय सेवा से पदच्युत कर दिया जावे, इस संबंध में आप कोई स्पष्टीकरण देना चाहते है तो पत्र प्राप्ति के 15 दिवस में विभाग में प्रस्तुत करें अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ4 (लिंक नं. 23328/अलेसे–ााा/389 दिनांकः– 28-6-2023

प्रतिलिपि– 1. कार्यालय कोषाधिकारी, बारां।
2. निजी सचिव, निदेशक।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–II/III)